भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3122

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में कटौती**

**3122. श्रीमती वानसुक साइमः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्कूली छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार वर्ष 2019 के शैक्षिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को आधा घटाने का विचार रखती है; और

(ख) क्या सरकार, परीक्षा और निरुद्ध प्रणाली का पुनः आरंभ करना चाहती है, जो कि विगत में लागू थी, ताकि छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जा सके?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क): शिक्षा का उद्देश्‍य समुदाय से अच्‍छे लोगों को लाना है। ज्ञान के साथ वास्‍तविक विकास के लिए, जीवन कौशल शिक्षा, मूल्‍यपरक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रयोग आधारित अध्‍ययन आवश्‍यक है। सृजनात्‍मक कौशल को पोषित करने की आवश्‍यकता है। सभी स्‍टेकहोल्डरों की यह मांग थी कि भारी पाठ्यचर्या के कारण, इन सभी पहलुओं के लिए समय नहीं बचता। साथ ही रटन अधिगम आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है। अत: स्‍कूल पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। इसको प्राप्‍त करने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) को सलाह दी गई है कि वे छात्रों के पाठ्यचर्या वजन को कम करने की दॄष्टि से अपनी पाठ्यचर्या की समी़क्षा करने की दिशा में कार्य करेंI इस संबध में एनसीईआरटी ने कार्यशाला आयोजित की है और पाठ्यचर्या वजन को कम करने के लिये निम्नलिखित कार्ययोजना प्रस्तुत की है:

1. निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विषय क्षेत्रों और कक्षाओं से संबंधित एनसीईआरटी पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करना:

 क. अधिगम निष्कर्ष

 ख. कक्षाओं और विषयों के बीच पाठ्यचर्या तारतम्यता

 ग. कंटेंट का अतिव्यापन (विज्ञान एवं भूगोल; भौतिकी एवं रसायन शास्त्र आदि)

 घ. भाषा की व्‍यापकता

 ड. कंटेंट की समय – अनुरुपता

 च. विविध प्रसंग

(2) पाठ्यचर्या वजन को कम करने के संबंध में वेबपोर्टल के माध्‍यम से अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य स्‍टेकहोल्‍डरों से सुझाव आमंत्रित करना I

(3) बच्चों के समग्र विकास के लिये पाठ्यचर्या सिद्धांतों की मैंपिंग, जीवन कौशलों और मूल्यों के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षा हेतु कार्यढाँचा तैयार करना।

 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट के माध्‍यम से दिनांक 05.03.2018 विभिन्‍न स्‍टेकहोल्‍डरों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ये सुझाव 6 अप्रैल, 2018 तक दिए जा सकते हैं। एनसीईआरटी ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिया है, जिसमें स्‍टेकहोल्‍डरों को पाठ्यचर्या भार को युक्तिसंगत बनाने पर अपने सुझाव भेजने हेतु एमएचआरडी की वेबसाइट के बारे में बताया गया है।

(ख): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 11 अगस्‍त, 2017 को लोक सभा में प्रस्‍तुत किया गया है और यह सदन में लंबित है। यह विधेयक आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 में संशोधन की मांग करता है। यह प्रत्‍येक शैक्षिक सत्र के अंत में पांचवी और आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा की व्‍यवस्‍था करता है। प्रस्‍तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई बालक उपरोक्‍त परीक्षा में असफल होता है, तो उसे परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दो महीने की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा हेतु अतिरिक्‍त निर्देश और अवसर की स्‍वीकृति दी जाएगी। यदि कोई बालक दूसरी कोशिश में असफल हो जाता है तो संबंधित सरकार उस बालक को कक्षा पाचंवी अथवा कक्षा आठवी अथवा दोनों कक्षाओं में, इस तरह से एवं ऐसी शर्तों के अध्‍यधीन जो निर्धारित की जा सकती है, में रोककर रखा जा सकता है। संबंधित सरकार उस छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में नहीं रोकने का भी निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्‍त, किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्‍कूल से निष्‍काषित नहीं किया जाएगा।